आवश्यक / सत्यापन / महत्वपूर्ण / तत्काल

कार्यालय आयुक्त एंव निबन्धक सहकारिता उ0प्र0

परिपत्रॉक. सी-34 / बीज-उर्वरक / सत्यापन / ई-25 दिनॉकः: लखनऊः: 04 सितम्बर, 2017

1. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक,
   सहकारिता, उ0प्र0।
2. समस्त सचिव / महाप्रबन्धक,
   जिला सहकारी बैक लि0,उ0प्र0।
3. समस्त जिला प्रबन्धक,
   पी0सी0एफ0, उ0प्र0।

विषयः– बिकी केन्द्रों पर समस्त प्रकार के कृषि-निवेश सम्भार दिनॉक 30-09-2017 का सत्यापन।

आप अवगत है कि प्रत्येक अभियान के अन्त में कृषि-निवेश सम्भार का सत्यापन कराये जाने की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत खरीफ-अभियान 2017 की समाप्ति पर दिनॉक 30-09-2017 को समितियों पर अवशेष कृषि निवेश सम्भार का सत्यापन कराया जाता है। एतदर्थ 01-10-2017 एवं 02-10-2017 को समस्त बिकी केन्द्रों पर कृषि निवेश बिकी एवं प्रेषण का कार्य सत्यापन के कारण बन्द रखा जाय। इसकी जानकारी पूर्व में ही काश्तकारों को समिति के नोटिस बोर्ड में अंकित करके करायी जाय। सत्यापन अधिकारी की डियूटी इस प्रकार लगायी जाय कि प्रत्येक बिकी केन्द्र का सत्यापन इन दो तिथियों में ही पूरा किया जाय। यदि निर्धारित तिथि को किसी बिकी केन्द्र का सत्यापन न हो सके तो सत्यापन अधिकारी उस केन्द्र को सील करेगा तथा उस केन्द्र का सत्यापन अन्य सत्यापन अधिकारी से कराया जायेगा। इससे सम्बन्धित रूप-पत्र सत्यापन अधिकारियों एवं बिकी केन्द्र प्रभारियों को समय से पूर्व ही पर्याप्त मात्रा में छपवाकर उपलब्ध करा दिये जाय, जिससे बिकी केन्द्र प्रभारी इन रूप-पत्रों पर वॉछित विवरणों की पूर्व से तैयारी कर सके।

उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय के परिपत्र संख्या-सी-28 / बीज-उर्वरक / आर0के0वी0वाई दिनांक 8.08.2013 के प्रस्तर 20 के अनुसार आर0के0वी0वाई0 योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त सहकारी समितियों के सत्यापन प्रारुप 7 पर कराया जायेगा एवं जनपदीय / मण्डलीय संकलन प्रारुप 8 पर अलग से भी संकलित कर प्रेषित किया जायेगा।

समस्त सहकारी निरीक्षक वर्ग–1, निरीक्षक वर्ग–2, लेखाकार, सहायक लेखाकार, शिक्षा–प्रशिक्षक, कृषि पर्यवेक्षक, बैंक के वरिष्ठ प्रबन्धक, अनुभाग अधिकारी,शाखा प्रबन्धक एवं सहकारी पर्यवेक्षक आदि को सत्यापन कार्य में लगाया जाय। यदि इसके उपरान्त भी स्टाफ की कमी पड़े तो उ0प्र0 सहकारी ग्राम्य विकास बैंक, पी0सी0एफ0, केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार आदि संस्थाओं के कर्मचारियों को भी उनके मुख्यालय के समीप के बिक्री केन्द्रों पर सत्यापन हेतु लगाया जाय। एक कर्मचारी को सामान्यतः 2 या अधिकतम 3 बिक्री केन्द्रों के सत्यापन का कार्य दिया जाय। किसी भी सहायक विकास अधिकारी को उनके विकास खण्डें की समितियाँ सत्यापन हेतु कदापि आवंटित न की जाय।

प्रत्येक बिक्री केन्द्र के समस्त प्रकार के सम्भार सत्यापन का विवरण एवं कैश एण्ड कैरी खाते में दिनॉक 30–09–2017 को बैंक के लगे धन का विवरण देना होगा। इसके लिए रूप पत्र–1, क,ख,ग,घ एवं "च" पूर्ववत् रहेंगे। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक इन विवरणों को रूप पत्र–घ पर संकलन कराकर अपने क्षेत्रीय संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक को दिनॉक 15–10–2017 तक प्रस्तुत करेगें। क्षेत्रीय संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक इसका संकलन रूप पत्र–"च" पर करायेगें एवं मण्डल संकलन की एक प्रति दिनॉक 20–10–2017 तक मुख्यालय में प्रस्तुत करेगें।

बिक्री केन्द्र प्रभारियों को अभी से निर्दिष्ट कर दिया जाय कि वह सम्भार को गिनने योग्य स्थिति में रखें जैसा कि पूर्व में निर्देश है। सत्यापन अधिकारी सम्भार का सत्यापन बोरियॉ गिनकर करेगें। यदि किसी संस्था में सम्भार गिनने की स्थिति में न पाया जाय तो सम्बन्धित स्टोर कीपर/बिक्री केन्द्र प्रभारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय।

विगत सत्यापन रिपोर्ट की समीक्षा से स्पष्ट है कि उर्वरक लेखों के समाधानीकरण की दिशा में अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण उर्वरक कैश एण्ड कैरी खाते में गैप/अन्तराल चिन्ताजनक स्थिति में है, और काफी समितियों की उर्वरक ऋण सीमायें चोक हो गयी है, जिससे समितियों को ब्याज के रूप में निरन्तर भारी वित्तीय हानि हो रही है।

दिनॉक 30–09–2017 के सत्यापन के पूर्व यह आवश्यक है कि उर्वरक लेखों के मिलान का कार्य पूर्ण कर लिया जाय। इसके लिये निम्न कार्यवाही अपेक्षित है:–

1– जिला सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय एवं शाखाओं के मध्य हेड आफिस एडजस्टमेन्ट एकाउण्ट 30–09–2017 की स्थिति दर्शाते हुए पूर्ण कर लिया जाय।

2– पी0सी0एफ0 द्वारा 30–09–2017 तक बिक्री केन्द्रों को प्रेषित उर्वरक सम्भार प्रदायकर्तावार/समितिवार/तिथिवार विवरण सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक के माध्यम से सहायक विकास अधिकारी (सह0) को रूप पत्र 1 के प्रारूप 'क' भाग में भरकर उपलब्ध कराया जायेगा। सहायक विकास अधिकारी (सह0) अपने क्षेत्र की समितियों के अभिलेख से उक्त विवरण के प्रारूप–ख भाग पर पुष्टि करायेगें। पुष्टि कराने के उपरान्त एक प्रति अपनी पत्रावली में सुरक्षित रखेंगे एवं एक प्रति पी0सी0एफ0 को वापस करेगें।

3– शाखा प्रबन्धक जिला सहकारी बैंक भी समितियों के खाते की दिनांक 30–09–2017 की स्थिति रूप–पत्र–ख पर दर्शातें हुए खाते की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) को उपलब्ध करायेगें। सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) समिति सचिव से समिति के अभिलेखों द्वारा इसकी पुष्टि करेंगे तथा सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) विकास खण्डवार संकलनकर सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक को उपलब्ध करायेगें।

उपरोक्त प्रक्रिया में यदि कहीं सम्भार में अन्तर दृष्टिगत हो तो सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) मौके पर ही अभिलेखों के आधार पर उसका निराकरण करायेगें। यदि कहीं पर गबन अथवा सम्भार की हेरा–फेरी दृष्टिगत हो तो उसकी सूचना तत्काल सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक को दी जाय, जो उस पर तुरन्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें !

संचिव, जिला सहकारी बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि पी0सी0एफ0 द्वारा जितनी उर्वरक बिक्री केन्द्रों को प्रेषित की गई है। उसके विरूद्ध सम्बन्धित प्रदायकर्ता, पी0सी0एफ0 एवं समितियों के खाते में आवश्यक प्रविष्टियॉं कर ली गयी है। इसके लिये दिनांक 30–09–2017 की स्थिति दर्शाते हुए खातों का मिलान कर लिया जाय।

कृपया इस परिपत्र को भली–भॉंति अध्ययन कर लें एवं जनपदीय उर्वरक समीक्षा समिति में विचारोपरान्त इसका परिपालन सुनिश्चित कराने हेतु स्थानीय स्तर पर रणनीति तैयार कर ली जाय। इसके महत्व को सम्बन्धित अधिकारियों को समझा दें एवं सुनिश्चित करें कि इस महत्वपूर्ण कार्य में कोई कमी न रहे। उचित होगा कि मुख्यालय पर तैनात

अपर जिला सहकारी अधिकारी के नियन्त्रण में एक सेल गठित कर दिया जाय, जिसे इस कार्य को समय पर सम्पन्न कराने हेतु उत्तरदायी माना जाय।

पुनः स्पष्ट किया जाता है कि दिनॉक 30–09–2017 के सत्यापन से पूर्व उर्वरक लेखों के हिसाब मिलान की प्रकिया अवश्य पूर्ण करा ली जाय, जिससे सत्यापन में सही स्थिति दर्शित हो सके। पर्यवेक्षण से सम्बन्धित अधिकारी यदि इस उत्तरदायित्व का जिम्मेदारी से निर्वाह नहीं करतें और किसी समिति में गबन के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाती है तो इन निर्देशों का पालन न करने के कारण वह भी दोषारोपित होगें। सभी निरीक्षक वर्ग–1 एवं निरीक्षक वर्ग–2 को इन निर्देशों को अवश्य नोट कराया जाय।

नोटः– इस कार्यालय के परिपत्रॉक सी–28/बीज–उर्वरक/सत्यापन दिनॉक 07–09–2005 के साथ संलग्न पूर्व में निर्गत प्रारूप–1,"क","ख","ग","घ" एवं "च"– यथावत् रहेगें।

संलग्नकः– यथोक्त।

(अजेय चौहान)
आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

परिपत्रॉक सी–34 /बीज –उर्वरक /सत्यापन/ई–25 दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त क्षेत्रीय संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 को इस आशय से कि कृपया उपरोक्त सत्यापन एवं हिसाब मिलान का दायित्व अपने मण्डल के क्षेत्रीय प्रबन्धक, पी0सी0एफ0 को भी सौपतें हुए इसे निर्धारित समय में अवश्य पूर्ण कराये तथा जनपद भ्रमण के समय इसकी समीक्षा करें।

2–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, पी0सी0एफ0/यू0पी0सी0बी0 उत्तर प्रदेश।

3–प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ, लखनऊ।

4–प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0सी0बी0, लखनऊ।

5–प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक लि0, लखनऊ।

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

रुप–पत्र–1

हिसाब मिलान पी0सी0एफ0 एवं बिकी केन्द्रो के मध्य–

प्रारुप–(क)

पी0सी0एफ0 द्वारा आपूर्ति की गई उर्वरक का विवरण (01.10.15 से 31.3.16 तक)

नाम समिति	चालान सं0/तिथि	नाम उर्वरक	नाम प्रदायकर्ता	मात्रा (मै0टन में)
1	2	3	4	5

ह0/–
जिला प्रबन्धक,
पी0सी0एफ0,
जनपद–––––––

नोट :– "क" भाग पी0सी0एफ0 द्वारा विकास खण्डवार तीन प्रतियों मे तैयार कर अपने हस्ताक्षर करके दो प्रतियों मे सम्बन्धित सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक के माध्यम से सहायक विकास अधिकारी(सह0) को अनिवार्य रुप से प्राप्त कराया जायेगा।

प्रारुप–(ख)

समिति द्वारा प्राप्त उर्वरक का विवरण (01.10.15 से 31.3.16 तक)

नाम समिति :–

नाम विकास खण्ड :–

चालान सं0/तिथि	नाम उर्वरक	नाम प्रदायकर्ता	प्राप्त तिथि	मात्रा (मै0टन में)
1	2	3	4	5

ह0/–
समिति सचिव,
मुहर सहित।

नोट :– सहायक विकास अधि0(सह0) समितियो से प्रारुप (ख) पर उक्त विवरण भरवायेगें और मुहर सहित सचिव के हस्ताक्षर लेगें। इसकी प्रति स्वयं सुरक्षित रखेगें तथा एक प्रति पी0सी0एफ0 एवं सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक को अनिवार्य रूप से प्राप्त करायेंगे।

रूप–पत्र–"क"

नाम समिति —————— विकास खण्ड——

सत्यापन तिथि——————

क0सं0	नाम वस्तु	इकाई	01.10.15 को प्रारम्भिक मात्रा	1.10.15 से 31.3.16 तक आमद		1.10.15 से 31.3.16 तक बिक्री		अवशेष स्टा0रजि0 के अनुसार	सत्यापित स्टाक		अन्तर	
				पीसीएफ के अनुसार	समि0स्टा0 रजि0 के अनुसार	नकद	अंश "ख"		मात्रा	क0मू0	कमी	अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(1) उर्वरक (मी0टन) में									
			(1) यूरिया									
			(2) एन0पी0के0									
			(3) डी0ए0पी0									
			(4) एम0ओ0पी0									
			(5) सुपर फास्फेट									
			योग									
			(2)प्रमाणित बीज(कु0में)									
			1–									
			2–									
			3–									
			4–									
			योग									
			(3)कृषि रक्षा रसायन (किलो / ली0 में)									
			1–									
			2–									
			3–									
			4–									
			योग									

क्रमशः पृष्ठ–2 पर

		(4)कृषि रक्षा यन्त्र उपकरण (नग में)									
		1–									
		2–									
		3–									
		4–									
		योग									
		(5) कृषि यन्त्र (नग में)									
		1–									
		2–									
		3–									
		4–									
		योग									
		(6) जिंक सल्फेट									
		1– सामान्य जिंक (मी०टन में)									
		2– चि0 जिंक सल्फेट(किलोग्राम में)									
		योग									

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सम्भार स्टाक रजिस्टर के अनुसार है।

ह0/–नाम समिति सचिव
नाम समिति (सील)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सम्भार गिनकर सत्यापित किया गया है।

ह0/–नाम सत्यापन अधिकारी
/पदनाम–

रुप–पत्र–"ख"

कैश एण्ड कैरी खाते में 31.03.2016 को समिति के पास उपलब्ध स्टाक व अपेक्षित समायोजन प्रविष्टियों के उपरान्त बैंक के लगे धन से मिलान हेतु समाधान–

विवरण–पत्र

(1) समिति पर 31.03.2016 को अवशेष कृषि निवेश का मूल्य(सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर)

1– उर्वरक

2– प्रमाणित बीज

3– कृषि रक्षा रसायन, कृषि रक्षा उपकरण एवं कृषि यन्त्र, जिंक सल्फेट, चि0 जिंक सल्फेट।

योग :–

(2) जोड़िये (+)

1– असमायोजित अंश "ख" के चेको की धनराशि

(क) बैंक स्तर पर

(ख) समिति स्तर पर

2– कैश एण्ड कैरी खाते में डेबिट धनराशि जिसका स्टाक समिति को प्राप्त न हुआ हो।

3– ऐसा अन्य कोई मद जो खाते में जमा होना चाहिये था (विवरण सहित)।

योग :–

(बैंक स्तर पर असमायोजित अंश "ख" के चेक जिस तिथि को बैंक में जमा किये गये। समायोजन लम्बित रखने का कारण भी बताये)।

(3) घटाइये (--)

1– समिति को प्राप्त उर्वरक की धनराशि जो एडवाइज प्राप्ति न होने के कारण समिति के कैश एण्ड कैरी खाते में डेबिट नही हुई है।

2– ऐसी कोई अन्य धनराशि जो व्यय की जानी है (विवरण सहित)

योग :–

(4) कृषि निवेशों मे लगा धन **(1+2-3)**

(5) दिनांक 31.03.2016 को बैंक शाखा पर समिति के कैश एण्ड कैरी खाते में लगी धनराशि (डेबिट/केडिट बैलेन्स)

(6) अन्तर की धनराशि (कालम संख्या 4–5)

1– बैंक के हाइपोथिकेशन ऋण से सत्यापित सम्भार की धनराशि अधिक ––––––मु0––––

2– समिति पर सत्यापित सम्भार की धनराशि से हाइपोथिकेशन ऋण अधिक मु0––––––––

ह0/–
नाम :–
समिति सचिव,
मुहर सहित।

ह0/–
शाखा प्रबन्धक,
नाम :–

रूप –पत्र"ग"

1–नाम तहसील:–

2–नाम अपर जिला सहकारी अधिकारी:–

3–तहसील में समितियों की संख्या:–

4–तहसील में कृषि निवेश बिक्री केन्द्रों की संख्या:–

5–तहसील में कृषि रक्षा रसायन बिक्री केन्द्रों की संख्या:–

6–तहसील में समितियों की संख्या जो उर्वरक व्यवसाय नही करती:–

7–तहसील में बिक्री केन्द्रों की संख्या जिनका सत्यापन पूर्ण हो गया:–

8–सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार सत्यापित स्टाक:–

नाम वस्तु		मात्रा	मूल्य
1–	उर्वरक		
2–	प्रमाणित बीज		
3–	कृषि रक्षा रसायन		
4–	कृषि रक्षा उपकरण		
5–	कृषि रक्षा यन्त्र		
6–	जिंक सल्फेट एवं चि0 जिंक सल्फेट		

(9) सत्यापन में यदि कमी हुई तो उसका विवरण।

नाम वस्तु		मात्रा	मूल्य
1–	उर्वरक		
2–	प्रमाणित बीज		
3–	कृषि रक्षा रसायन		
4–	कृषि रक्षा उपकरण		
5–	कृषि यन्त्र		
6–	जिंक सल्फेट एवं चि0 जिंक सल्फेट		

(10) समितियों की संख्या जिन पर बैंक का हाइपोथिकेशन ऋण सत्यापित सम्भार से अधिक लगा है।

(11) समितियों की संख्या जिन पर बैंक के हाइपोथिकेशन ऋण की अपेक्षा अधिक सम्भार उपलब्ध है।

(12) समितियों की संख्या जिनका सत्यापन नही हो पाया।
(कारण सहित)

ह0/–
अपर जिला सहकारी अधिकारी
पूरा नाम:–
तहसील:–
जनपद:–

सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर जनपद स्तरीय संकलन

रूप– पत्र "घ"
(धनराशि रू० में)

नाम जनपद——————————

समितियों की संख्या——————————बिक्री केन्द्रों की संख्या—————————— सत्यापन कराये गये बिक्री केन्द्रों की संख्या——————————

	नाम बिकी केन्द्र	नाम समिति	दि 31.03.2016 के सत्यापन के अनुसार पाया गया सत्यापित उर्वरक सम्भार (मै०टन में)						सत्यापित सभी उर्वरकों का मूल्य क्रय दर पर (रू० में)	कमी (मै०टन) में						कमी स्टाक का मूल्य क्रय दर पर (रू०में)	असमायोजित चेकों की धनराशि (रू० में)		दि 31.3.2016 को वास्तविक सत्यापन में प्रमाणित बीजों का सम्भार		अन्तर यदि कोई हो (रू० में)	
			यूरिया	एनपीके	डीएपी	एमओपी	सुपर फास फेट	योग		यूरिया	एनपीके	डीएपी	एमओपी	सुपर फास्फेट	योग		बैंक स्तर पर	समिति स्तर पर	मात्रा (कु0में)	धनराशि क्रय मूल्य पर (रू0 में)	कम मूल्य (रू0में)	अधिक मूल्य (रू0में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

कृषि रक्षा रसायनों के सत्यापित सम्भार की		कृषि रक्षा उपकरण के सत्यापित सम्भार की		कृषि यन्त्रों के सत्यापित सम्भार की		जिंक सल्फेट एवं जि0जि0सल्फेट के सत्यापित सम्भार की		कैश एवं कैरी खाते में लगा ऋण (डेबिट बैलेन्स+ / क्रेडिट– बैलेन्स (रू0में)	सत्यापित सभी कृषि निवेशों के सम्भार का मूल्य	बैंक के लगे धन एवं सत्यापित स्टाक के मूल्य में अन्तर(32–33)	
धनराशि क्रय मूल्य पर (रू० में)	कमी धनराशि क्रय मूल्य पर (रू० में)	धनराशि क्रय मूल्य पर (रू० में)	कमी धनराशि क्रय मूल्य पर (रू० में)	धनराशि क्रय मूल्य पर (रू० में)	कमी धन राशि क्रय मूल्य पर (रू० में)	धन राशि क्रय मूल्य पर (रू० में)	कमी धन राशि क्रय मूल्य पर (रू० में)		कालम न0 10+22+24+26+28+30 का योग (रू० में)	सत्यापित सम्भार की धनराशि की अपेक्षा बैंक का लगा धन अधिक (रू० में) (कालम न0 32–33)	समिति पर बैंक के लगे धन की अपेक्षा सत्यापित सम्भार की धनराशि अधिक (रू० में) (कालम न0 33–32)
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

ह0 / –
सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक
सहकारिता, उ0प्र0
जनपद :–

सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर मण्डल स्तरीय संकलन

रूप– पत्र "घ"

(धनराशि लाख रू0 में)

नाम मण्डल–––––––––––––

क्र0 सं0	नाम जनपद	संख्या समिति	संख्या बिक्री केन्द्र	बिक्री केन्द्रों संख्या जिनका सत्यापन हो गया है	सत्यापन में पाया गया सम्भार(मि0टन में)						सत्यापित सभी उर्वरकों का मूल्य क्रय मूल्य पर(लाख रू0 में)	कमी (मात्रा मि0टन में)						[illegible] स्टाक का मूल्य क्रय दर पर (लाख रू0में)	असमायोजित बैंकों की धनराशि (लाख रू0 में)		दि0 31–03–2018 को सत्यापन में प्रमाणित बीज का पाया गया सम्भार	
					यूरिया	एनपीके	डीएपी	एमओपी	सुपरफास्फेट	योग		यूरिया	एनपीके	डीएपी	एमओपी	सुपरफास्फेट	योग		बैंक स्तर पर	समिति स्तर पर	मात्रा (कुन्टल में)	धनराशि क्रय मूल्य पर (लाख रू0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

वास्तविक अन्तर यदि कोई हो		कृषि रक्षा रसायन के सत्यापित सम्भार की		कृषि रक्षा उपकरण के सत्यापित सम्भार की		कृषि यन्त्रों के सत्यापित सम्भार की		जिंक सल्फेट एवं बिजि0सल्फेट के सत्यापित सम्भार की		कैश एवं कैरी कार्ड में लगा ऋण (लाख रू0 में) (डेबिट बैलेन्स+/क्रेडिट बैलेन्स)	सत्यापित सभी कृषि निवेशों के सम्भार का मूल्य (धनराशि लाख रू0 में)	उन समितियों का विवरण जहाँ बैंक ऋण समिति में उपलब्ध सम्भार से अधिक है।		उन समितियों का विवरण जहाँ समिति में उपलब्ध सम्भार बैंक ऋण से अधिक है।	
कमी (मूल्य)	अधिक (मूल्य)	धनराशि क्रय मूल्य पर (लाख रू0 में)	कमी क्रय मूल्य पर (लाख रू0 में)	धनराशि क्रय मूल्य पर (लाख रू0 में)	कमी धनराशि क्रय मूल्य पर (लाख रू0 में)	धनराशि क्रय मूल्य पर (लाख रू0 में)	कमी धनराशि क्रय मूल्य पर (लाख रू0 में)	धनराशि क्रय मूल्य पर (लाख रू0 में)	कमी धनराशि क्रय मूल्य पर (लाख रू0 में)			संख्या समिति	धनराशि (लाख रू0 में)	संख्या समिति	धनराशि (लाख रू0 में)
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

ह0 / –

संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक

(सहकारिता),उ0प्र0

मण्डल–––––––

प्रारूप –7

आरकेवीवाई के अन्तर्गत सहायता प्राप्त समितियों के 30.09.....…/31.03.….. के अवशेष संभार का सत्यापन (नाम समिति/नाम विकास खण्ड)

[illegible]	आर.के.वी.वाई योजनान्तर्गत दिनांक 01.4…../01.10….. का प्रारम्भिक अवशेष			आरकेवीवाई योजनान्तर्गत दिनांक 01.04…../01.10….. से दि0 31.03…../30.09….. तक प्राप्त		योजनान्तर्गत कुल उपलब्धता		योजनान्तर्गत उपलब्धता के सापेक्ष वितरण		योजनान्तर्गत कृषि निवेश का दि0 31.03…../30.09….. को अन्तिम अवशेष (स्टाक रजिस्टर के अनुसार)		दिनांक 31.03…../30.09….. का सत्यापित स्टाक		पायी गई कमी अर्थात स्टाक रजिस्टर के अनुसार स्टाक और सत्यापन में पाये गये संभार में अन्तर यदि हो	
	ईकाई	मात्रा	क्रय मूल्य	मात्रा	क्रय मूल्य	मात्रा	क्रय मूल्य	मात्रा	विक्रय मूल्य	मात्रा	क्रय मूल्य	मात्रा	क्रय मूल्य	मात्रा	क्रय मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
यूरिया															
डीएपी															
एन.पी.के															
[illegible]															
अन्य															
योग															

दि0 01.04…../01.10….. से [illegible]		दि0 01.04…../01.10….. से दि0 30.09…../[illegible] आमेलक के खाते म जमा/अन्तरित धनराशि [illegible]		यदि कालम 10 के योग धनराशि और कालम 18 की धनराशि मे अन्तर है तो कारण		दि0 01.04…../01.10….. से दि0 30.09…../31.03….. तक पीसीएफ के अनुसार समिति के खाते में कुल डेबिट/क्रेडिट धनराशि		यदि कालम 06 की [illegible] धनराशि तथा कालम 23 में अन्तर है तो कारण		यदि कालम 20 की धनराशि तथा कालम 24 मे अन्तर है तो कारण	
[illegible] धनराशि जमा की गयी	[illegible] धनराशि	बैंक का नाम [illegible] के खाते म धनराशि जमा की गयी	जमा धनराशि	कारण	धनराशि	डेबिट	क्रेडिट	कारण	धनराशि	कारण	धनराशि
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

प्रमाणित किया जाता है कि समिति के कैश बुक, स्टाक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर तथा पी.सी.एफ. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार सभी विवरण सत्य है।

[illegible] अधिकारी
नाम/पदनाम
[illegible]

प्रारूप-8

30.09......../31.03..........के आरकेवीवाई योजनान्तर्गत सहायता प्राप्त समितियों के जनपद/मण्डल स्तरीय सत्यापन संकलन का प्रारूप

धनराशि लाख रु० में

क्र	नाम जनपद	आरकेवीवाई से आच्छादित समितियों की संख्या	कुल प्राप्त धनराशि	सत्यापित समितियों की संख्या	स्टाक रजिस्टर के अनुसार दिनांक 31.03....../30.09.... को अवशेष संभार							सत्यापन में पाया गया दिनांक 31.03....../30.09.... को अवशेष संभार						
					यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी	बीज	अन्य	कुल क्रय मूल्य	यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी	बीज	अन्य	कुल क्रय मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

	सत्यापन में पायी गयी कमी की धनराशि (क्रय मूल्य पर) [illegible]	अभियान काल में समिति के अनुसार कुल प्राप्त कृषि निवेश क्रय मूल्य(क्रय मूल्य)	अभियान काल में समिति के अनुसार कुल वितरित कृषि निवेश का मूल्य(बिक्री मूल्य)	अभियान काल में बैंक में समिति के खाते में कुल जमा धनराशि	अभियान में बैंक में खुले पीसीएफ के खाते में समिति के अनुसार जमा/ [illegible]	अभियान काल में पीसीएफ के अनुसार पीसीएफ में योजनान्तर्गत खुले समिति के खाते से अदायकर्ताओं को भुगतान (डेबिट) एवं समिति द्वारा जमा (क्रेडिट) कुल धनराशि		कालम 21 और कालम 25 में अन्तर की धनराशि	कालम 22 एवं 23 का अन्तर	कालम 24 एवं 26 का अन्तर	अभियान के अन्त में पीसीएफ में खुले समिति खाते में क्रेडिट बैलेन्स
						डेबिट धनराशि	क्रेडिट धनराशि				
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

उप आयुक्त एवं उपनिबन्धक
सहकारिता उ०प्र०